कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांक :- 119 /न0पा0परि0आ0 दिनांक :- 7/11/16

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

नगर विकास अनुभाग-1 से निर्गत शासनादेश सं0-3988/9-1-2010-203सा/2010 लखनऊ दिनांक 07 दिसम्बर,2010 के क्रम में व जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0-8661/ओ0एस0डी0-30/2016 दिनांक 05 नवम्बर,2016 के अनुपालन में आच्छादित भाग अधोलिखित विवरण के अनुसार सफाई व्यवस्था आउटसोर्सिंग/सेवाप्रदाता के माध्यम से कराने हेतु इच्छुक है। सेवा/श्रम/आयकर विभाग में पंजीकृत फर्मो से दिनांक 15.11.2016 को अपरान्ह 02:00 बजे सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे अपर जिलाधिकारी महोदय (स्था0नि0) समक्ष यथासम्भव उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सार्वजनिक रूप से खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय निर्धारित शुल्क दिनांक 10 व 11.11.2016 से कार्यालय दिवस में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में समय 10:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा 02:00 बजे से 05:00 बजे तक कार्यालय अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)आजमगढ़ के यहां से निविदा प्रपत्र विक्रय की जायेगी। धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक हो अथवा निकाय कार्यालय से निर्गत रसीद के माध्यम से नगद स्वीकार की जायेगी, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सेवाप्रदाता फर्म अपनी मोहर बन्द निविदा कार्यालय में रखी निविदा बाक्स निर्धारित समय में डाल सकेंगे। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा सशर्त कोई निविदा स्वीकार नहीं होगी निविदा से सम्बन्धित शर्तो के सम्बन्ध में जानकारी कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में उपस्थित होकर कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक देखी जा सकती है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	शासन द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक	मात्रा	अनुमानित व्यय धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	सफाई श्रमिको की आपूर्ति	259.04 प्रति श्रमिक प्रतिदिन	90 सफाई श्रमिक	8509464.00	170000.00	2000.00

नियम व शर्ते :-

1. टेण्डरदाता/सेवाप्रदाता को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र रू0 75 लाख एवं चरित्र प्रमाण पत्र, टिन नं0, पैन नं0 आदि देना होगा।
2. नगर पालिका परिषद आवश्यकता अनुसार आपूर्ति हेतु कार्यदेश निर्गत करेगी।
3. सेवाप्रदाता फर्म को न्यूनतम दो शासकीय/अशासकीय विभागों में आपूर्ति किये गये श्रमिकों के कार्यदेश की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रपत्र में उपरिलेखन अमान्य होगा।
5. आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों को नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन से निर्गत शासनादेश/न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 श्रम विभाग द्वारा प्रचलित दरों का पालन करना होगा।
6. सेवा प्रदाता द्वारा अपना सर्विस चार्ज निविदा प्रपत्र में इंगित करना अनिवार्य होगा।
7. स्वीकृत दरों के अतिरिक्त फर्मो को सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा। सेवाकर, आयकर आदि के रूप में कटौती की जाने वाली धनराशि नगर पालिका परिषद आजमगढ द्वारा अपने स्तर से निर्धारित कोष में जमा करायी जायेगी।
8. सेवाप्रदाता फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों का फोटोयुक्त परिचय पत्र अपने स्तर से निर्गत करना अनिवार्य होगा। समय से कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों के खाते में पारिश्रमिक भेजना होगा।

P.T.O

9. सेवाप्रदाता फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों का जीवन बीमा पालिसी कराया जाना अनिवार्य होगा।

10. कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों का ई0पी0एफ0 में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

11. किसी भी घटना/दुर्घटना की स्थिति में सेवाप्रदाता की फर्म उत्तरदायी होगी।

12. सेवाप्रदाता को श्रम/सेवा/आयकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र के साथ श्रम/सेवा/आयकर में पंजीकृत की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों का कार्य पर लगाये जाने से पूर्व निविदा के अनुसार वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियों/सफाई श्रमिकों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

15. निविदा स्वीकृत होने पर सेवा प्रदाता फर्म रू0 200 का जनरल स्टाम्प पेपर नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के पक्ष में अनुबन्ध पत्र तहरीर करना अनिवार्य होगा।

16. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले अपने कर्मचारियों में से किसी भी योग्य कर्मचारी से आपूर्ति किये जाने वाले कर्मचारियो/सफाई श्रमिकों के कार्यो(सफाई व्यवस्था) का पर्यवेक्षण कराना होगा।

07.11.2016.

(दिनेश कुमार विश्वकर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

इन्दिरा

(इन्दिरा देवी जायसवाल)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्रतिलिपिः–ब्यूरो चीफ ''दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, ~~तरुण मित्र~~'' दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रदेश स्तरीय पेज पर न्यूनतम एवं न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

07.11.2016.

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़